

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर  
मुकदमा नंबर 86/2022  
ऑनलाईन नंबर 2022/129

निर्णय दिनांक २३.१.२०२२

1. खींवराज पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ
2. मनमोहन पुत्र जेठाराम जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ
3. मुन्नी पत्नी मनमोहन जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
4. विमला गोदारा पत्नी खींवराज जाति जाट निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (राजस्थान)।

—प्रार्थीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ, जिला बीकानेर।


उपस्थिति:—

—अप्रार्थीगण—

1. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 921 तादादी 3.9300 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित हैं। वादगत खेत खसरा न की भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वादगत खेत का 1/4-1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25.02.2022 के खरीद किया हुआ हैं। प्रार्थीगण प्रत्येक का वादगत खेत में 1/4-1/4 हिस्सा अवस्थित है। प्रार्थीगण का वादगत खेत में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादगत खेत में हिस्सा खरीद के समय राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा अक्स इस प्रकार था :-



एवं उपर्युक्त नक्शा अनुसार ही पटवारी के नक्शा सीट में राजस्व नक्शा अंकित एवं इस अनुसार मौका पर खेत की सीवे बनी हुई है। परन्तु उपर्युक्त खेत डिजीटल नक्शा अक्स तैयार करते समय हल्का पटवारी ने नीचे वर्णित नक्शा राजस्व रिकॉर्ड के डिजीटल नक्शा अक्स में दर्ज कर दिया जो मौका के विपरीत व गलत दर्ज है:-

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)



हल्का पटवारी ने पूर्व से चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार डिजीटल नक्शा अक्स तैयार नहीं कर वादगत खेत के डिजीटल राजस्व रिकॉर्ड में गलत नक्शा अक्स तरमीम कर दिया। जबकि राजस्व नक्शा अक्स में पूर्व में चले आ रहे राजस्व नक्शा अक्स के अनुसार वादगत खेत का डिजीटल राजस्व नक्शा अक्स तरमीम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने वादगत खेत के राजस्व नक्शा अक्स की डिजीटल नकल निकलवायी तब मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत नक्शा अक्स तरमीम होने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण ने वादगत खेत के पूर्व में जारी नक्शा अक्स की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और अप्रार्थी से पूर्व में चले राजस्व नक्शा अक्स के अनुसार डिजीटल नक्शा अक्स दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा किये गये इन्कार के कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी के विरुद्ध वाद हेतु प्राप्त है एवं वादगत खेतों के खातेदार कृषक होने से प्रार्थीगण को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं।


अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा नम्बर 921 तादादी 3.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के डिजीटल राजस्व नक्शा अक्स को वादगत खेत के पूर्व में जारी नक्शा अक्स के अनुसार तरमीम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तालव किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकाराराज उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपित नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

#### आदेश

खेत खसरा नम्बर 921 तादादी 3.9300 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के डिजीटल राजस्व नक्शा अक्स को वादगत खेत के पूर्व में जारी नक्शा अक्स के अनुसार तरमीम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत् रहेगा।

आदेश आज दिनांक 23.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल समतल हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
 उपखण्ड (नियंत्रण) अधिकारी  
 श्रीडूंगरगढ़ (नियंत्रण)  
 श्रीडूंगरगढ़